संचिका सं0–7 / अनु0आ0–34–03 / 2026–27 – 412(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार द्विवेदी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना ।
प्रबंध निदेशक,
बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना ।
सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार ।
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार ।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार ।
प्राचार्य / अधीक्षक, सभी दंत / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / यूनानी संस्थान, बिहार ।

पटना, दिनांक– 09/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 के द्वितीय अनुपूरक आगणन हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध ।

प्रसंगः– वित विभागीय पत्र सं0–1226 / वि0 दिनांक–08.10.2026 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के द्वितीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव वित विभाग को भेजा जाना है ।

अतः अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
09/10/26
(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सरकार के संयुक्त सचिव

विनय कुमार, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
Vinay Kumar, I.A.S
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग
पुराना सचिवालय, पटना-800015
Govt. of Bihar,
Finance Department
Old Secretariat, Patna - 800015
Tel. No. - 0612-2215805
Email - finsecy-bih@nic.in

03

पत्र सं0- ब17/बी0एस0जी0-157/2013-1226 वि0

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 08.10.2026

विषय - **वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक- 23.10.2026 तक भेजने के संबंध में ।**

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है ।

3. **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय** मद अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु मात्र निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए :

(i) जिस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया हो, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रूपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव देना होगा, शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा ।

(ii) मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में शेष राशि के व्यय हेतु उपबंध ।

(iii) अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा । इसके लिए जितनी राशि प्रावधानित करायी जानी है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा ।

(iv) वेतन मद तथा न्यायादेश से आच्छादित मामलों के भुगतान हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सकारण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सकता है । इसके अलावा अन्य मदों में अतिरिक्त राशि उपबंधित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

4. **राज्य स्कीम** के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए :

(i) प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त अतिरिक्त उद्व्यय के आलोक में प्रस्ताव भेजा जा सकता है । ऐसे प्रस्ताव के साथ उद्व्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रखी जाए ।

(62)

(ii) अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा । इसके लिए जितनी राशि प्रावधानित करायी जानी है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा । स्कीम अंतर्गत पूर्व से कर्णाकित राशि में परिवर्तन हेतु योजना एवं विकास विभाग से आंतरिक सामंजन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम** के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् में द्वितीय अनुपूरक द्वारा राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) नई स्कीम में प्राप्त होने वाली राशि, जिसका बजट उपबंध मूल बजट में नहीं किया गया है, उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव (स्पष्ट आधार सहित) के साथ राशि के बजट उपबंध हेतु योजना एवं विकास से उद्व्यय प्राप्ति का पत्र संलग्न करते हुये प्रस्ताव दिया जा सकता है ।

6. **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए । यदि पूर्व वित्तीय वर्षो में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी एवं इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना हो तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी । **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** के लिए उद्व्यय की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. अतः अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव **दिनांक-23.10.2026** तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में **अपराह्न 5 बजे तक** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव

(61)

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- सचिव,बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी. 157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त(अंकेक्षण) विभाग/ संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय/ संयुक्त सचिव, प्रेस एवं स्टेशनरी/ संयुक्त आयुक्त, पेंशन/ संयुक्त आयुक्त, लेखा/ प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना, वित्त विभाग/ संयुक्त आयुक्त, कोषागार शाखा/ निदेशक, सांख्यिक वित्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव, सचिव(संसाधन) के आप्त सचिव, बजट प्रशाखा के सभी उप सचिव/अवर सचिव/अवर बजट नियंत्रक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 1226 दिनांक- 08.10.2026

प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी